25.8.23 पत्रावली वकील प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के किये जाने से सिगट से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। प्रार्थिया इस प्रकरण मे विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही करना चाहती है एवं प्रकरण को आगे नही चलाना चाहती है। प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाया जावे।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित मे वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थिया उक्त प्रकरण मे अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहती है। प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा